239

संख्या–486/xvi–2/14–17(3)/2014

प्रेषक,

डा0 रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम विकास विभाग,
प्रेमनगर–देहरादून।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 26 अप्रैल,2014

विषयः–जैविक उर्वरक कय हेतु सी0डी0पी खाते से अर्जित ब्याज से ₹5.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय आपके पत्र संख्या–113/रेशम/तक अनु0/2014–15 दिनांक 16 अप्रैल, 2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड राज्य में संचालित 12 जनपदों में 72 राजकीय शहतूत उद्यानों पर जैविक खाद के प्रायोजन हेतु केन्द्रपोषित कैटेलिटिक योजना (CDP) के अर्न्तगत उपलब्ध केन्द्रांश फण्ड पर मिलने वाले ब्याज में से ₹5.00 लाख के व्यय की निम्न शर्तानुसार सहर्ष प्रदान करते हैः–

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय, राज्य मे संचालित केन्द्रपोषित कैटेलिटिक योजना (CDP) के अर्न्तगत केन्द्रांश फण्ड पर मिलने वाले ब्याज में से ₹5.00लाख से लिया जायेगा। तथा इस हेतु निदेशक, रेशम को पृथक से कोई धनराशि उपलब्ध नही करायी जायेगी।

भवदीय,

(डा0 रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या– /xvi–2/14–17(3)/2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा देहरादून।
2– सदस्य सचिव, के0रे0बोर्ड0, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार।
3– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
4– वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मंगल सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

R.S. Rana letter-1